न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राज.)
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 17/2025

अपीलार्थी

देवु पुत्री भेमा जी, जाति– भील, निवासी– अमरापुरा, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. कपुरा पुत्र सोनाजी, जाति–भील, निवासी–अमरापुरा, तहसील–रेवदर, जिला–सिरोही
2. कोकु पुत्री भेमा जी, जाति–भील, निवासी–अमरापुरा, तहसील रेवदर जिला–सिरोही
3. छगन पुत्र सोना जी, जाति–भील, निवासी–अमरापुरा, तहसील–रेवदर, जिला–सिरोही
4. भोणा पुत्र सोना जी, जाति–भील, निवासी–अमरापुरा, तहसील–रेवदर, जिला–सिरोही
5. हेमा पुत्र सोना जी, जाति–भील, निवासी–अमरापुरा, तहसील–रेवदर, जिला–सिरोही
6 रेवी पुत्री भेमा जी, जाति–भील, निवासी–अमरापुरा, तहसील– रेवदर, जिला सिरोही
7. भूती पुत्री भेमा जी, जाति–भील, निवासी– अमरापुरा के कायम मुकाम वारिसानः–

7/1. अन्तरी पुत्री भूती, पुत्री भेमा जी, जाति–भील, निवासी–अमरापुरा, तह0 रेवदर

7/2. अशोक पुत्र भूती, पुत्री भेमा जी, जाति–भील, निवासी–अमरापुरा, तह0 रेवदर

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री रामकरण वैष्णव, अपीलार्थी की ओर से।

(3) पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्याः 8 (आठ) ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक 15 अप्रेल, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, मण्ड़ार द्वारा ग्राम अमरापुरा, पटवार हल्का रायपुर के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 765 दिनांक 23–2–2022 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील व प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन व नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 व 7/1 से 7/2 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। प्रत्यर्थी संख्या 8 (आठ) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 व 7/1 से 7/2 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही होने से प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 व 7/1 से 7/2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रामकरण वैष्णव ने अपील में अंकित कथनों व तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम अमरापुरा, पटवार हल्का रायपुर, भू.अभि.नि. क्षेत्र सोरडा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही में अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है, जिसके खाता संख्या नये 131 (पुराना खाता संख्या 121) खसरा संख्या 160/300 रकबा 0–9065 हेक्टेयर किस्म ब–3 व खसरा संख्या 160/301 रकबा 0–4452 हेक्टेयर किस्म ब–3 कुल किता 2 कुल रकबा 1–3517 हेक्टेयर है। उक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलार्थी के पिता भेमा जी के नाम खातेदारी की दर्ज थी एवं

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

उनकी मृत्यु पश्चात् अपीलार्थी, उनकी पुत्री एवं प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। भेमा जी की मृत्यु होने के पश्चात् भेमा जी के उत्तराधिकारियों में रेवी, भूती, देवु, कोकु पिसरान— भेमा व भेमाजी की पत्नी लीलू पत्नि भेमा जी विधिक वारिसान थे एवं लीलु पत्नि भेमा जी की मृत्यु होने के पश्चात् भेमा व लीलु के उत्तराधिकरियों में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2, 6 व 7 है। अपीलार्थी के पिता भेमा जी की मृत्यु होने के पश्चात् अपीलार्थी की माता लीलु पत्नि भेमा जी का नाम जरिये उत्तराधिकार नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। अपीलार्थी की माता श्रीमती लीलु पत्नि भेमा जी की मृत्यु दिनांक 08—10—2013 को हो जाने से लीलु पत्नि भेमा जी के स्थान पर अपीलार्थी देवु, रेवी, भूती एवं कोकु का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नामान्तरण दर्ज होना था लेकिन अपीलार्थी की बहन कोकु ने राजस्व कर्मचारियो के साथ मेल मिलापकर भेमा की अन्य पुत्रीयों रेवी व भूती तथा अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण दर्ज नही करवाकर भेमा व लीलु की पुत्री कोकु के नाम से ही उत्तराधिकार का नामान्तरकरण दर्ज करवाया। अपीलार्थी इसी विश्वास में रही कि उनके पिता व माता की मृत्यु पश्चात् उसकी बहिन कोकु के साथ उसका व अन्य बहनों का भी नाम नामान्तरकरण में दर्ज हो गया होगा। चुंकि अपीलार्थी अपनी बहिन पर विश्वास करके एवं बहिन द्वारा कहने पर विश्वास मे रही कि उसका नाम भी राजस्व रेकर्ड में बतौर उत्तराधिकारी दर्ज हो गया होगा। अपीलार्थी अपने ससुराल में रहती है जो उक्त कृषि भूमि की समय समय पर सार—सम्भाल करने आती जाती रहती है। अपीलार्थी का अपने पिता भेमा की कृषि भूमि में 1/12 वां हक हिस्सा स्थित है एवं अपीलार्थी की बहन कोकु ने पटवारी से मेल मिलापकर अपनी तीनों बहिनों को दरकिनार कर स्वयं के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करवा कर लिया एवं उप तहसीलदार, मण्ड़ार ने भी मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण को स्वीकृत कर दिया। जबकि भेमा जी के चार पुत्रीयां होने से भेमाजी के 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि में चारों बहनों का बराबर बराबर हक हिस्सा होता है तथा चारों बहनों के नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करना चाहिये, लेकिन अपीलार्थी व उसकी दो बहनों को दरकिनार कर प्रत्यर्थी कोकु पुत्री भेमा ने पटवारी से मेल मिलाप कर स्वयं के नाम से ही नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया, जो विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी द्वारा बार—बार प्रत्यर्थी कोकु को कहने पर वो हमेशा टालमटोल करती रहती एवं अपील पेश करने से करीब 20 दिन पूर्व अपीलार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि भूमि को बंटवाड करके देने हेतु कहे जाने पर कोकु ने बंटवाड करवाने से मना कर दिया एवं कहा कि उक्त भूमि मेरे अकेले की नाम की हैं तुम्हारे जो करना है वो कर लेना। जिस पर अपीलार्थी द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं हैं एवं पटवारी द्वारा बताने पर नामान्तरकरण की नकल पटवारी से प्राप्ति हेतु दिनांक 19—11—2025 को आवेदन किया एवं दिनांक 19—11—2025 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त हुई है। नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने पर अपीलार्थी को जानकारी हुई कि उसकी बहन कोकु ने अपीलार्थी के साथ धोखा कर अपीलार्थी के पिता भेमा व माता लीलु की मृत्यु होने के पश्चात् नामान्तकरण स्वयं के नाम से राजस्व अधिकारीयों से मेलमिलाप कर दायर करवाकर स्वीकृत कर लिया, जो अवैध व शुन्य है। प्रत्यर्थी कोकु ने राजस्व कार्मिकों व राजस्व अधिकारियों को गलत तथ्य बताकर मिलीभगत करके नामान्तरकरण अपने नाम से दर्ज करवाकर स्वीकृत करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। नामान्तरकरण को दर्ज करने व स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया है। अपीलार्थी के पिता की अन्य खातेदारी खाता संख्या 119 खसरा संख्या 45, 42, 207 कुल किता 3 रकबा 25 बीघा 5 बिस्वा एवं खाता संख्या 120 खसरा संख्या 188 में भेमा व लीलु की मृत्यु होने के पश्चात् राजस्व रेकर्ड में रेवी, भूती, देवु, कोकु पुत्री भेमा का नाम दर्ज किया गया है। पटवारी

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अमरारापुरा व उप तहसीलदार, मण्डार को यह जानकारी थी कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के अन्य खसरो में अपीलार्थी व उनकी बहिनों का नाम लीलु व भेमा की मृत्यु के पश्चात् जरिये नामान्तरकरण दर्ज हुआ है लेकिन प्रश्नगत नामान्तरकरण में वर्णित उक्त खसरा संख्या 160/300 व 160/301 की भूमि किमती होने से प्रत्यर्थी कोकु के साथ मेल मिलाप कर प्रश्नगत नामान्तरकरण दर्ज किया है जो अपीलार्थी के हितों व विधिक अधिकारों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी, अनपढ़ महिला है जो अपनी बहिन कोकु के विश्वास में रही कि उसका नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज होगा लेकिन प्रत्यर्थी कोकु को अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि के बंटवाड का कहने पर टालमटोल करने पर अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने पर अपीलार्थी को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में पहली बार दिनांक 19–11–2025 को जानकारी हुई। जिस पर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद 30 दिन में प्रस्तुत की हैं एवं अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जावे एवं अपीलार्थी की अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा ग्राम अमरापुरा, पटवार हल्का रायपुर के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 765 दिनांक 23–2–2022 को निरस्त किया जावे एवं उप तहसीलदार, मण्डार को मृतक खातेदार भेमा व लीलु के विधिक वारिसान अपीलार्थी व अन्य के नाम से पुनः नये सर नामान्तरकरण दायर करवाकर स्वीकृत करने हेतु आदेशित किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि उक्त कृषि भूमि की सह खातेदार लीलु पत्नी भेमा जी, जाति– भील, निवासी– अमरापुरा व गोवा पुत्र सोना की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का, रायपुर द्वारा उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 765 दायर किया गया, जिसे उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा दिनांक 23–2–2022 को स्वीकृत किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम अमरापुरा, पटवार हल्का रायपुर के पुराने खाता संख्या 121 (नये खाता संख्या 131) खसरा संख्या 160/300 रकबा 5–15 बीघा किस्म ब 3 व खसरा संख्या 160/301 रकबा 2–15 बीघा किस्म ब 3 कृषि भूमि की सह खातेदार लीलु पत्नि भेमा जी, जाति– भील, निवासी– अमरापुरा की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का, रायपुर द्वारा मृतक खातेदार लीलु पत्नि भेमा जी, जाति– भील, निवासी– अमरापुरा के हक हिस्से की उक्त सह खातेदारी की कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोकु पुत्री भेमा जी, जाति– भील, निवासी– अमरापुरा के हक में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 765 दायर किया गया, जिसे उप तहसीलदार, मण्ड़ार द्वारा दिनांक 23–2–2022 को स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 765 दिनांक 23–2–2022 के द्वारा एक अन्य संयुक्त खातेदार गोवा पुत्र सोना की मृत्यु होने से मृतक खातेदार गोवा पुत्र सोना के उत्तराधिकारियों का नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है।

उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 765 दिनांक 23–2–2022 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 20–11–2025 को अपील प्रस्तुत की गई है जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। जहां तक, यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है? अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा कराने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया है, जिसमें विलम्ब के संबंध में

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आकेत कारणों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई बदनियति या लापरवाही प्रतीत नही होती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होने प्रतीत होता है, इसलिये न्यायहित में धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उक्त नामान्तरकरण संख्या 765 दिनांक 23—2—2022 के विरुद्ध अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुए इस अपील प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जा रहा है।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम अमरापुरा, पटवार हल्का रायपुर के नये खाता संख्या 120 (पुराना खाता संख्या 114) खसरा संख्या 188 रकबा 2—18 बीघा किस्म ब 3 कृषि भूमि व खाता संख्या नया 119 (पुराना खाता संख्या 113) खसरा संख्या 45, 82 व 207 कुल किता 3 कुल रकबा 25—05 बीघा कृषि भूमि की सह खातेदार लीलु पत्नि भेमा जी, जाति— भील, निवासी— अमरापुरा की मृत्यु के बाद मृतक सह खातेदार लीलु पत्नि भेमा जी, जाति— भील, निवासी— अमरापुरा के हक हिस्से की उक्त कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 817 दिनांक 29—01—2024 के द्वारा मृतक खातेदार लीलु पत्नि भेमा जी, जाति— भील, निवासी— अमरापुरा के विधिक उत्तराधिकारी रेवी, भुती, देवु व कोकु पुत्री भेमा, जाति— भील, निवासी— अमरापुरा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है।

इस प्रकार, प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट व निर्विवादित है कि मृतक खातेदार लीलु पत्नि भेमा जी, जाति— भील, निवासी— अमरापुरा के विधिक वारिसान में उनकी चार पुत्रियां रेवी, भूती, देवु, कोकु पुत्री भेमा जी, जाति— भील, निवासी— अमरापुरा है जिसमें से भूती पुत्री भेमा जी भील, निवासी— अमरापुरा की मृत्यु हो जाने से उसके उत्तराधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 7/1 व 7/2) है, लेकिन उक्त खातेदार लीलु पत्नि भेमा जी, जाति— भील, निवासी— अमरापुरा की मृत्यु के बाद उसकी सह खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम अमरापुरा, पटवार हल्का रायपुर के खाता संख्या 131 (पुराने खाता संख्या 121) खसरा संख्या 160/300 रकबा 5—15 बीघा व खसरा संख्या 160/301 रकबा 2—15 बीघा कुल किता 2 रकबा 8—10 बीघा कृषि भूमि के संबंध में पटवारी हल्का, रायपुर द्वारा केवल मात्र कोकु पुत्री भेमा जी, जाति— भील, निवासी— अमरापुरा के नाम से ही उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 765 दायर किया गया है, जिसे उप तहसीलदार, मण्ड़ार द्वारा दिनांक 23—2—2022 को स्वीकृत किया गया है। जबकि उक्त मृतक खातेदार लीलु पत्नि भेमा जी, जाति— भील, निवासी— अमरापुरा की मृत्यु के बाद उनके विधिक वारिसान में उसकी चारों पुत्रियां हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा— 8 के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 में विर्निदिष्ट प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के अनुसार हिन्दू खातेदार के निर्वसीयत मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकार के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते है। इस प्रकार, अपीलार्थी देवु व मृतक खातेदार लीलु पत्नि भेमा जी भील, निवासी— अमरापुरा के अन्य विधिक वारिसान भी अपनी माता मृतक खातेदार लीलु पत्नि भेमा जी, जाति— भील, निवासी— अमरापुरा के हक हिस्से की कृषि भूमि में बराबर—बराबर हिस्सें में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकार रखते है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 765 दिनांक 23—2—2022 को निरस्त करते हुए प्रकरण उप तहसीलदार, मण्ड़ार को उक्त मृतक खातेदार लीलु पत्नि भेमा जी, जाति— भील, निवासी— अमरापुरा के सभी विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में पुनः विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अन्र्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार, मण्ड़ार द्वारा ग्राम अमरापुरा, पटवार हल्का अमरापुरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 765 दिनांक 23–2–2022 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उप तहसीलदार, मण्ड़ार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार लीलु पत्नि भेमा जी, जाति– भील, निवासी– अमरापुरा के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में जांच करके इनके सभी विधिक उत्तराधिकारियों के हक में पुनः विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15 अप्रेल, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही